कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–::कार्यालय–आदेश::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक—मावि एवं समकक्ष के अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/बी—ा/45001/आरपीएससी—18/पदस्थापन/2019/1—164 दिनांक 16.10.2019 द्वारा कुल 614 अभ्यर्थियों (विरयता कमांक 01 से 1187 है, जिनमें बीच—बीच में कुछ के नम्बर नहीं आये हए है) के पदस्थापन आदेश प्रथम चरण में जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच, आवेदन पत्रों की जांच एवं इस प्रकार के विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 16.10.2019 के पश्चात जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (मनोज कुमार अग्रवाल व अन्य 2) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 5699/2022 श्री मनोज कुमार अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्टता धारक कार्मिकों के समान वरिष्टता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5699/2022 मनोज कुमार अग्रवाल व 2 अन्य बनाम स्रेरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04. 2022 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की रिथति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका यंख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के जरिये निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये पए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया:—

Having regard to the facts of the case, writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no.2 – Director, Secondary Education, Bikaner, along-with a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण मनोज कुमार अग्रवाल व 2 अन्य निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा पृथक—2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2019 के अनुसार स्थायीकरण एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियमित वेतन व कनिष्ठ के बराबर परिलाभ की मांग मुख्य रूप से की गई हैं।



No	कार्मिक का नाम	एम्प्लोयी आई. डी-	जन्मतिथि	मेरिट न.	विद्यालय का नाम	जिला	प्रधानाध्यापक प्रथम कार्यग्रहण दिनाक	प्रधानाध्यापक (मा.वि.) पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक
1	MANOJ KUMAR AGARWAL	RJCR201112009341	11-09-1986	1042	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LUNCHH (215573)	CHURU	12-03-21	10-03-21
2	DHARMPAL JYOTISHI	RJJP200419000101	26-09-1966	981	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL VANVIHAR (218900)	JAIPUR	17-03-21	10-03-21
3	BHAGIRATH MAL	RJSK201233005633	10-12-1974	1078 atio	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL	SIKAR	16-03-21	10-03-21

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यार्वेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.67,2014 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक संद्रा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (माव) एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न करणीं में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से किनष्ट वरीयताधारी कार्मिक मंजू पवन (वरीयता क्रंमाक–1186) जन्म तिथ–12.04.1983 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 16.10.2019 द्वारा किया गया था, जिसके कम में मंजु पवन द्वारा दिनांक 18.10.2019 को कार्यग्रहण किया। मंजू पवन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त उन्हे दिनांकः 18.10.2021 को नियमित वेतन शृंखला एवं ग्रेड—पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लिखित 03 याचिकार्थीगण के द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से किनष्ट वरीयताधारी कार्मिक मंजू पवन द्वारा उक्त तिथि तक प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एवं अन्य सेवा परिलाभ की काल्पनिक गणना करते हुए उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन नियतन किया जाकर तदनुसार उन्हे परिलाभ प्रदान किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही ये वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। उपर्युक्तानुसार याचिकार्थीगण के अभ्यावेदनों का निस्तारण किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल) आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/बी-3/एस.बी.सी. 5699/मनोज कुमार व अन्य/2022 दिनांकः— 15 .05.2023 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

01—विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर 02—विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार,

जयपुर।

03- संबंधित सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

04- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।

06— संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

07- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।

08- जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक जोधपुर।

09- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

10— संबंधित संस्था—प्रधान/कार्यालयध्यक्ष।

11- संबंधित कार्मिक को सूचनार्थ।

12— अनुभागाधिकारी वरिष्ठता अनुभाग / विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।

13- निजी / रक्षित पत्रावली ।



्राज्य संयुक्त–निर्देशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर